

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

दिनांक

क्रमांक एफ 61(217) PS/ SSAAT/2023/

कार्य आवंटन आदेश

सोसायटी में कार्यरत निम्न 6 राज्य संसाधन व्यक्तियों को कार्य आवंटन के संबंध में पूर्व में जारी कार्य आवंटन आदेशों के अधिक्रमण में नवीन कार्य आवंटित किया जाता है :-

क्रसं	नाम	आवंटित जिलो की संख्या	आवंटित जिलो के नाम	आवंटित अन्य योजना के नाम
1.	श्री इकबालुद्दीन	6	जोधपुर संभाग - 1. बाडमेर 2. जैसलमेर 3. जालौर 4. जोधपुर 5. पाली 6. सिरोही	MDM, Labour Department
2.	श्री नरेन्द्र जोशी	6	उदयपुर संभाग- 1. उदयपुर 2. बांसवाडा 3. चित्तोडगढ 4. प्रतापगढ 5. डूंगरपुर 6. राजसमंद	FFC, MOSJE
3.	श्री सोनिया साहू	6	कोटा संभाग- 1. बांरा 2. बूंदी 3. झालावाड 4. कोटा अजमेर संभाग के 2 जिले- 5. अजमेर 6. भीलवाडा	PMAY (Urban)
4.	श्री राकेश भार्गव	5	जयपुर संभाग- 1. जयपुर 2. अलवर 3. झुझनू 4. सीकर 5. दौसा	MGNREGA
5.	श्री अभिषेक सिसोदिया	6	भरतपुर संभाग- 1. भरतपुर 2. धोलपुर 3. सर्वाईमाधोपुर 4. करौली अजमेर संभाग के 2 जिले- 5. नागौर 6. टोंक	SBM, समग्र शिक्षा
6.	श्रीमती सबा हाशमी	4	बीकानेर संभाग- 1. बीकानेर 2. चुरू 3. श्रीगंगानगर 4. हनुमानगढ	PMAY (G)
		कुल 33 जिले		

सोसायटी से मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर जारी होने के उपरांत उपरोक्त सभी राज्य संसाधन व्यक्ति सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य के अनुरूप उन्हे आवंटित जिलों में सफल संचालन हेतु दैनिक मोनीटरिंग करेंगे। यदि किसी कारणवश सामाजिक अंकेक्षण शुरू नहीं हो पाया है तो उसकी सूचना तत्काल सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर के प्रभारी अधिकारी सामाजिक विकास विभाग को लिखित में उपलब्ध करायेगे। उक्त सूचना प्राप्त होते ही SDS द्वारा सामाजिक अंकेक्षण निरूपा किये जायेगे अथवा संशोधित आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति से की जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarwar Ma
Verma

Designation : Director
Date: 2025.08.08 11:46:26 IST
Reason: Approved



विभिन्न जिलो में कार्यरत DRP/BRP के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य में लापरवाही करने/कार्य नहीं किये जाने तथा अन्य कोई शिकायत प्राप्त होने पर SRP द्वारा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेगें। मुख्य लेखाधिकारी द्वारा इस तरह से प्राप्त हुई शिकायतों की जाँच/ परीक्षण करवाये जाने की कार्यवाही अधिकतम एक सप्ताह में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

SRP द्वारा आवंटित जिलो में सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर अनुसार सामाजिक अंकेक्षण पूर्ण हो गया की सूचना सोसायटी कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट को संबंधित विभाग के MIS पोर्टल/ गूगल लिंक पर निर्धारित समयावधि में अपलोड करवाने के साथ-साथ सामाजिक अंकेक्षण में पाई गई वित्तीय अनियमितताओं संबंधी/ अन्य गंभीर अनियमितताओं के बारे में अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(सांवर मल वर्मा)
निदेशक

दिनांक

द्रमांक एफ 61(217) PS/ SSAAT/2023/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग
2. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग
3. निजी सचिव, आयुक्त नरेगा ।
4. निजी सचिव, निदेशक, SSAAT
5. निजी सचिव, जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त जिले
6. मुख्य लेखाधिकारी SSAAT
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त जिला परिषद ।
8. परियोजना अधिकारी (लेखा) समस्त जिला परिषद ।
9. सामाजिक विकास विशेषज्ञ (SDS),
10. संबंधित राज्य संसाधन व्यक्ति समस्त को पालनार्थ ।
11. जिला संसाधन व्यक्ति को पालनार्थ एवं उक्त आदेशों को संबंधित BRPs के साथ साझा करें ।
12. सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ समस्त कार्मिक, SSAAT
13. रक्षित पत्रावली

निदेशक, SSAAT

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanwar Mal
Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.08 11:46:26 IST
Reason: Approved